न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :– 392/19

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नसीर खां पुत्र खुमे खां 2. अब्दुल खां पुत्र खुमें खां 3. नेकु खां पुत्र खुमें खां सभी जाति मुसलमान सिपाही निवासी ईमामनगर तहसील फलौदी जिला जोधपुर (राज.)		1. गुलाम रसुल पुत्र समीर खां 2. रफीक खां पुत्र समीर खां 3. हनीफो पत्नी समीर खां 4. निजु खां पुत्र लुकमदीन 5. नूरखां पुत्र लुकमदीन 6. सखी खां पुत्र लुकमदीन 7. हनीफ खां पुत्र लुकमदीन 8. मूमल पत्नी लुकमदीन 9. ईस्माईल खां पुत्र कादर खां 10. नजमा पुत्री अली मोहम्मद सभी जाति सिपाही निवासी ईमामनगर तहसील फलौदी जिला जोधपुर (राज.) 11 श्रीमान तहसीलदार फलौदी

राजस्व वाद 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री स्वरूप चन्द प्रजापत।
2. प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 कि ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार विश्नोई।

निर्णय **दिनांक :–** 13/05/2019

वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील फलौदी के ग्राम ईमामनगर पटवार क्षेत्र भोजासर के खेत खसरा न. 336 रकबा 122 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अर्थात 61 बीघा 06 बिस्वा भूमि बंट में आती है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अर्थात 61 बीघा 06 बिस्वा भूमि बंट में आती है। इसली अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 का उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में कब्जा व काश्त है। वादग्रस्त खसरा की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमती से मौखिक बंटवाड़ा होया हुआ है तथा माफिक बंटवाड़ा वादीगण के हिस्से में वादपत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बंट में रखी हुई थी वादीनी का उक्त भूमि पर अपने हिस्से एवं माफिक बंटवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासी ढ़ाणी, पानी का टांका पालतु मवेशीयो के लिये बाड़ा इत्यादि बनाए हुए है तथा रहवासीय ढ़ाणी में अपने परिवार सहित काश्त के मौसम में निवास करती आ रही है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से कि भूमि पर काश्त के मौसम में काश्त करती एवं अवैरते आ रहे है तथा प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही कि है

वादीगण ने उक्त वादग्रस्त खसरे कि भूमि का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाने का पूर्व में कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण हर वार वादीगण को यह आश्वासन देते रहे कि हम उक्त वादग्रस्त भूमि आपसी सहमति से बंटवाड़ा तहसील कार्यालय चल कर करवा देगें। उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सभी खातेदारों के नाम से अलग अलग अमल दरामद करवा देंगे लेकिन दिनांक 27.02.2017 को जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि का अपनी सहमती से बंटवाड़ा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने इनकार कर दिया इसलिए वादीगण ग्राम ईमामनगर पटवार क्षेत्र भोजासर के खेत खसरा न. 336 रकबा 122 बीघा 12 बिस्वा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के बंट हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादपत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार विधिवत बंटवाड़ा भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रत्येक खातेदार के नाम से अलग अलग खाता कायम कर मध्य बाई मिट्स एण्ड बाण्ड्स में विभाजन किये जावे।

कि 08.06.2018 को ग्राम ईमामनगर पटवार क्षेत्र भोजासर के खेत खसरा न. 336 रकबा 122 बीघा 12 बिस्वा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के मध्य उक्त भूमि का इनके मध्य विभाजन होया हुआ नहीं होने से बाई मिट्स एंड बाउण्डस् में विभाजन कि प्राथमिक डिक्री जारी कि गयी एवं तहसीलदार फलौदी को विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन में दो प्रतियों में अलग अलग कलर दर्शाते हुए पेश करने का आदेश जारी किया गया।

तहसीलदार फलौदी द्वारा माफिक आदेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश होने पर शाामिल मिसल किया गया विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण कि बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस में बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 खसरा न. 336 रकबा 122 बीघा 12 बिस्वा भूमि मौजा ग्राम ईमामनगर के बंटवाड़ें हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कि जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी मय पटवारी मौके पर जाकर मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़े का प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया इसी अनुसार हमारा हक हिस्सा है तथा मौके पर कब्जा काश्त है अधिवक्ता ने अंत में निवेदन किया कि बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावे

हमने पत्रावली, दस्तावेजात व बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया व अधिवक्ता कि बहस पर मनन किया न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.06.2018 को बंटवाड़े का यह वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कि गई इसी अनुसार तहसीलदार फलौदी द्वारा मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य होने से वाद वादी का स्वीकार किया जाता है

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाकर तहसील फलौदी के ग्राम ईमामनगर पटवार क्षेत्र भोज.सर के खेत खसरा न. 336 रकबा 122 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा निम्न प्रकार से खातेदारों के मध्य किया जाता है :—

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म
1.	नसीर खां पुत्र खुमे खां	336	20.09	बा—III
2.	अब्दुल खां पुत्र खुमें खा	336	20.09	बा—III
3.	नेकु खां पुत्र खुमें खां	336	20.09	बा—III
4.	गुलाम रसुल पुत्र समीर खां	336	61.06	बा—III

(प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10)
सभी जाति मुसलमान सिपाही निवासी ईमामनगर
तहसील फलौदी तहसील फलौदी जिला जोधपुर (राज.)

तहसीलदार फलौदी इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। इसी माफिक अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...13/05/2019.....को सरे इजलास में सुनाया गया।

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी

Scanned by CamScanner